प्रदूषण रोकिए! क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण बचाइए!!

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref. 360/NGT OA No 174 of 2022/22-23 दिनांक/Date. 23-09-2022

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Sub: Action taken report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT dated 12.07.2022 in OA No. 174 of 2022 (Dharmendra Kumar Singh Versus Union of India & Ors.).

Sir,

Please refer to the subject noted above. Consequent upon the referenced Order, the designated Committee constituted has made sincere efforts in addressing all the issues in compliance of the referenced Order. The Report with all supporting Annxeure is enclosed with request to kindly place before Hon'ble Tribunal. The above case has listed for further hearing in Hon'ble Court on dated 21.10.2022

Encl. As Above (Total- 20 Pages)

Yours faithfully

(Kalika Singh)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action please.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Misra (Advocate), Supreme Court, B-235, Sector-19, Noida-211301.

Regional Officer

REPORT

PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI

O.A. No. 174 of 2022

in the Matter of "Dharmendra Kumar Singh Vs Union of India & Ors.

1.0 Background:

The Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench vide order dated 12.07.2022 constituted a joint committee of CPCB, State PCB, UP and District Magistrate, Ballia for site visit and verification of factual position of two (02) Brick Kiln in Phulpur, Koth, Sikandarpur, Ballia (UP). The relevant para of said order is reproduced hereunder:

"..In view of above, we consider it appropriate to constitute Joint Committee comprising of representative of CPCB, State PCB and District Magistrate, Ballia and direct the same to meet within one month, undertake site visit and verify the factual position regarding compliance with environmental norms in all relevant particulars including siting criteria, MoEF Guidelines, 2022 and other rules/ regulations governing establishment of the Brick Kiln and take remedial action in accordance with law by following due process. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF..."

2. Action taken:

In compliance of the referenced NGT order, the committee was constituted comprising of following members:

1. Shri Akhilesh Kumar Yadav, SDM, District-Ballia (Representative of DM, Ballia)
2. Shri Runa Oraon, Scientist-D, CPCB, Regional Directorate, Lucknow (Representative of CPCB)
3. Shri Kalika Singh, Regional Officer. U.P. Pollution Control Board, Regional Office, Azamgarh (Representative of UPPCB)

3. Site Inspection:

In accordance to the referenced order of Hon'ble NGT, the Committee have carried out meeting through VC on 11.08.2022 and visited both the Brick Kilns as mentioned in referenced NGT order (M/s Pragati Brick Kiln, Phulpur, Koth, Sikandarpur, Ballia & M/s Aakansha Int Bhatta, Sarni, Koth, Sikandarpur, Ballia) located at Koth, Sikandarpur, District- Ballia on August 30, 2022 and also interacted with stake holders and complainant (Shri Dharmendra Kumar Singh) on the site.

Shri Parivesh Chourasia, Kanungo & Shri Manoj Kumar Yadav, Lekhpal were present on the site as representative of Shri Akhilesh Kumar Yadav, SDM, District, Ballia.

4. Salient Observations

The Committee visited M/s Pragati Brick Kiln, Phulpur, Koth, Sikandarpur, Ballia & M/s Aakansha Int Bhatta, Sarni, Koth, Sikandarpur, Ballia and the observations made by the committee are summarised as under:

4.1.<u>M/s Pragati Brick Kiln, Phulpur, Koth, Sikandarpur, Ballia, UP</u>

1. M/s Pragati Brick Kiln, (formerly M/s G.B.S. Brick Kiln Industry), Araji no. 1712, Phulpur, Koth, Sikandarpur, Distt. -Ballia established since 2000 accordance with the prevailing Zilla Parishad's guide line. The State Pollution Control Board has issued No Objection Certificate (NOC) for establishment on dated 10.10.2000 (**Annexure-1**).
2. The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 was notified on 27.06.2012. Earlier, Zilla Parishad's guide line were followed for siting of Brick Kiln by the State.
3. That the said Brick Kiln was operated from 2000 to 24.03.2010 in the name of M/s GBS Brick Kiln Udyog, Phulpur, Koth, Sikandarpur, Dictrict- Ballia. Further, the said Brick Kiln was sold and changed its name as M/s Ashok Kumar Int Bhattha and operated during 25.03.2010 to 03.12.2021. The said Brick Kiln again sold to Shri Vyas Singh, Dugauli, Sikandarpur, Ballia 03.122021 and changed its name as M/s Pragati Brick Kiln, Phulpur, Koth, Sikandarpur, Dictrict- Ballia.

4. The Brick Kiln was operated without consent to operate from UPPCB till 18.05.2022. The Brick Kiln was applied for consent air & water to operate on 06.05.2022 and consent air & water were granted on 19.05.2022. Who is presently revoked vide letter dt. 13.07.2022 in compliance of order passed by Hon'ble NGT dated 12.07.2022 in O.A. No 174/2022 (Dharmendra Kumar Singh v/s Union of India & Ors.) (**Annexure-2**).
5. During inspection, the Brick Kiln was not operational. It is informed by the representative (Shri Dilip Singh) that the unit is not in operation since 15.06.2022 due to rainy season.
6. The consented production capacity of brick kin is 15, 000 bricks per day. The Brick Kiln is based on natural draft using coal (approx. 02 TPD) as fuel (as reported).
7. The emission from Brick Kiln is emitted from stack of height approx. 30 m. The Brick Kiln has provided monitoring platform and port hole on stack, which is not as per the CPCB guidelines.
8. The Brick Kiln has installed a borewell to meet its fresh water requirement. No flow meters installed at borewell.
9. The Brick Kiln has not maintained adequate green belt.
10. It is reported, ash generated in the Brick Kiln is utilized inhouse.
11. During visit, Lekhpal and Kanungo measured the distance of Road, Population, School, Hospital etc. through digitally. Copy of the report is annexed as **Annexure-3**. As per report, details are as below:

S. No.	Siting Criteria	Distance(approx.) as per Lekhpal and Kanungo report	Direction from Brick Kiln
1.	Distance from Residential area	01 Km-Village Uchwar 740 m -Village Kalyani 1.1 Km-Village Sarni 730 m-Phulpur, Koth 560 m- 03 houses 640 m- 01 house	East North South West West West
2.	Distance from Hospital	1160 m	North-West

3.	Distance from School	810 m	North-West
4.	Distance from PWD Road	51 m	East
5.	Distance from nearby Brick Kiln	870 m (at Village Koth) 1110 m (at Village- Sarni)	North-West South-East

4.2 M/s Aakansha Int Bhatta, Sarni, Koth, Sikandarpur, Ballia, UP

1. M/s Aakansha Int Bhatta (formerly M/s Khan and Ansari Bricks Works), Araji No. 165 ,173 of Sarni, Koth, Sikandarpur, District- Ballia established since 2000 accordance with the prevailing Zilla Parishad's guide line. The State Pollution Control Board has issued No Objection Certificate (NOC) for establishment on dated 10.10. 2000 (**Annexure-4**).
2. The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 was notified on 27.06.2012. Earlier, Zilla Parishad's guide line were followed for siting of Brick Kiln by the State.
3. That the said Brick Kiln was operated from 2000 to 2003 in the name of M/s Khan and Ansari Bricks Works. Further, the said Brick Kiln was sold and changed its name as M/s Raj Brick Udhyog and operated during 2004 to 2011. The said Brick Kiln is again sold to Shri Samarsen Bahadur Singh, Sarni, Koth, Sikandarpur, Ballia. Presently, the said brick kiln was purchased by Mrs. Geeta Singh and named as M/s Aakansha Int Bhatta.
4. The Brick Kiln was operated without consent to operate from UPPCB since 2000. It is informed by the present Brick Kiln representative; he will not operate the Brick Kiln in future and will demolish Brick Kiln.
5. During inspection, Brick Kiln was not operational. It is informed by the representative (Sh. Dilip Singh) that the unit is not in operation since 10.05.2022.
6. The consented production capacity of brick kin is 15, 000 bricks per day. The Brick Kiln is based on natural draft using coal (approx. 02 TPD) as fuel (as reported).

7. The emission from Brick Kiln is emitted from stack of height approx. 30 m. The Brick Kiln has not provided monitoring platform and ladder at stack. Port hole has been provided, which is not as per CPCB guidelines.

8. The Brick Kiln has installed a borewell to meet its fresh water requirement. No flow meters installed at borewell.

9. The Brick Kiln has not maintained adequate green belt.

10. It is reported, ash generated in the Brick Kiln is utilized inhouse.

11. During visit, Lekhpal and Kanungo measured the distance of Road, Population, School, Hospital etc.through digitally. Copy of the report is annexed as **Annexure-5**. As per report, details are as below:

S. No.	**Siting Criteria**	**Distance(approx.) from stack of Brick Kiln as per Lekhpal and Kanungo report**	**Direction from Brick Kiln**
1.	Distance from Residential area	200 m- Sarni 90 m – newly constructed house 1.02 Km- Rampur Katrai 1500 m- Uchwar 700 m- Mudera	South-West East North West
2.	Distance from School	220 m	West
3.	Distance from PWD Road	1010 m	South
4.	Distance from nearby Brick Kiln	650 m (at Village Sarni) 1110 m (at Village-Phulpur Koth)	South North West

5. **Recommendations:**

5.1 M/s Pragati Brick Kiln, Phulpur, Koth, Sikandarpur, Ballia, UP

a. The Brick Kiln may be imposed environmental compensation by SPCB for operation without consent to Operate.

b. The Brick Kiln should install flow meter at borewell and maintain log book of fresh water consumption.

c. The Brick Kiln should provide proper monitoring Platform, ladder and Port Hole at the stack as per CPCB guidelines.

d. The Brick Kiln should provide adequate green belt for fugitive emission control. Till Such time, brick wall of height approx. 3 meter may be constructed around brick kiln as per The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012.

e. The brick kiln should submit action plan to UPPCB for conversion into Zig-Zag technology or vertical shaft as per MoEF& CC, Govt. of India notification G.S.R.143(E) , dated 22.02.2022.

5.2 M/s Aakansha Int Bhatta, Sarni, Koth, Sikandarpur, Ballia, UP

As informed by Brick Kiln representative, he will not operate Brick Kiln in future and will demolish Kiln.The Brick Kiln representative may demolish Brick Kiln in presence of District Administration and SPCB at the earliest.

(Kalika Singh) Regional Officer U.P.Pollution Control Board Varanasi	**(Runa Oraon)** Scientist-D, Central Pollution Control Board Regional Directorate, Lucknow	20/09/2022 **(Akhilesh Kumar Yadav)** S.D.M. Sikandarpur, Ballia

Photo gallery of M/s Pragati Brick Field

Pic. (01) Stack of Kiln

Pic. (02) plantation near Kiln

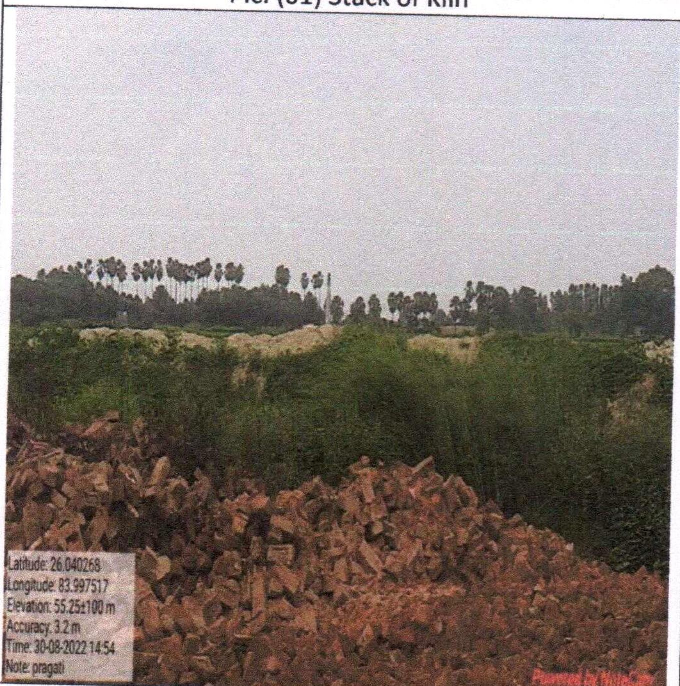

Pic. (03) nearby Brick Kiln

Pic. (04) Diesel Engine for Ground water extraction

Photo gallery of M/s Akansha Brick Field

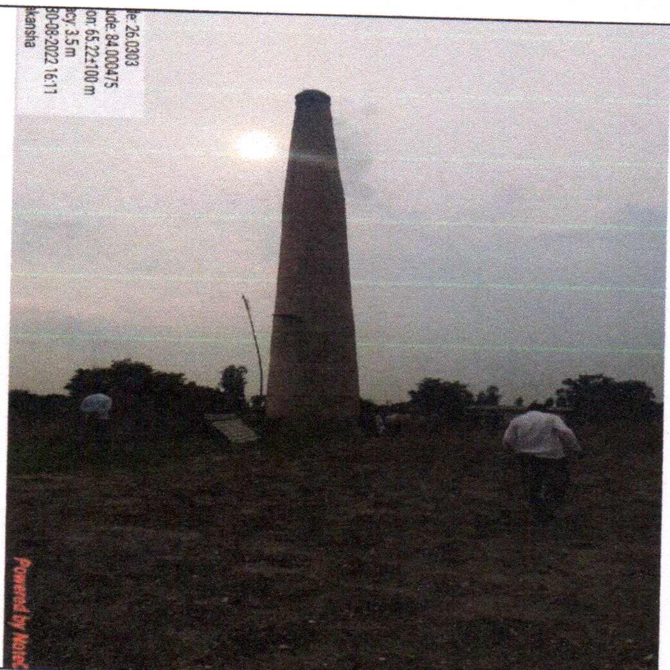

Pic. (01) Stack of Brick kiln

Pic. (02) Residential House near Kiln

Pic. (03) Residential House near Kiln

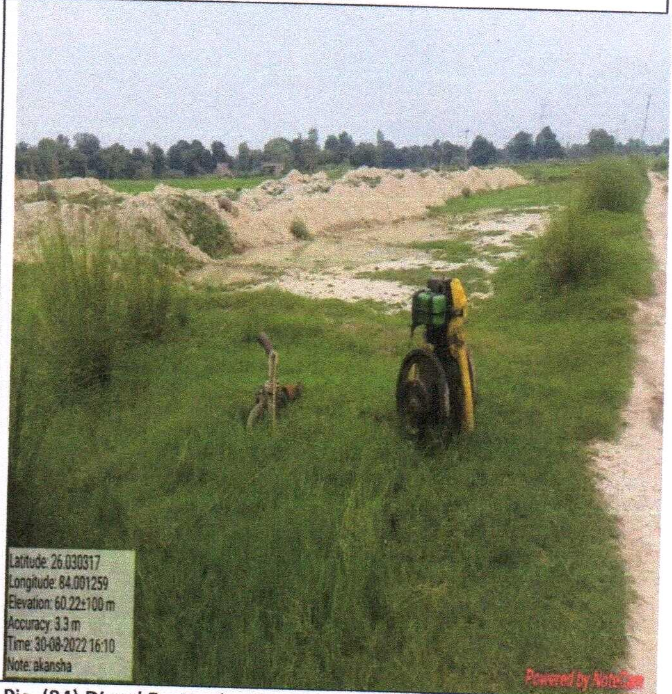

Pic. (04) Diesel Engine for Ground water extraction

Annexure - I

फोन : (0542) 315143
फैक्स : (0542) 315143

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्पलेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी

संदर्भ 590 /एनओसी/जी.पी.एस. ईंट भट्ठा उद्योग/2000/12 दिनांक 10-10-2000

सेवा में,

मेसर्स जी.पी.एस. ईंट भट्ठा उद्योग
पनपुरा, चौथ, सिकन्दरपुर
बलिया

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नयी इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 11-10-2000 का संदर्भ लें । आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है ।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :—

(क) स्थल — अराजी नं. 1712 पनपुरा, चौथ, सिकन्दरपुर, बलिया

(ख) उत्पादन — ईंट- 15,000 प्रतिदिन

(ग) मुख्य कच्चे माल ....

मिट्टी

....

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा ....

शून्य

....

....

(ङ) प्रयुक्त ईंधन ....

कोयला- 2 टन प्रतिदिन

....

....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र-संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह, शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम दो माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ...2500 लीटर/दिन. से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक .... दिसम्बर 2000 .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाय।

7. प्रस्तावित उद्योग स्थल के चारों ओर .... अधिकतम .... मीटर चौड़ी हरित पट्टी का विकास किया जाय।

8. परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण भन्डारों तथा आयात नियम 1969 के अन्तर्गत आंकड़े शीट, दुर्घटना की सूचना आदि सूचनाए विभिन्न प्रारूपों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. पर्यावरण स्टेटमेन्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विलम्बतम 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. उद्योग द्वारा एक्सप्लोसिव विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाय।

11. लोकदायित्व बीमा अधिनियम 1991 की अनुपालन सुनिश्चित करें।

12. उद्योग द्वारा अग्नि शमन हेतु उचित व्यवस्था की जाय।

13- उद्योग द्वारा यदि किसी प्रकार का सालिड वेस्ट निकलता है तो इसके निस्तारण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जायेंगे, ताकि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो।

14- उद्योग में 10 हार्सपावर के डीजल इंजन की स्थापना की जायेगी। इंजन से संलग्न एग्जास्ट की ऊँचाई आस-पास के भवन छत से 1.5 मीटर रखी जायेगी।

15- उद्योग में भट्ठे से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल से 30 मीटर रखी जायेगी।

16- चिमनी के साथ ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जायेगी। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

17- उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 26-9-2000 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

18- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

19- जिला परिषद की गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

20- आपके भट्ठे से अन्य भट्ठे की दूरी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के सुझावों के अनुसार होनी चाहिये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषप्रद अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक.................................तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता-वृत्त 6 उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तृतीय तल, बी-ब्लाक, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ-226010...

2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ... ललितपुर ....

3. ....

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

Annexure-2

प्रदूषण रोकिए!

क्षेत्रीय कार्यालय

पर्यावरण बचाइए!!

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref. 2011/स्था०/2022-23

दिनांक / Date. 13-7-202

सेवा में,

मेसर्स प्रगति ईट भट्ठा (पूर्वनाम अशोक कुमार सिंह ईट भट्ठा),
द्वारा श्री व्यास सिंह,
ग्राम–फुलपुरा कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर,
जनपद–बलिया।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 174/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह v/s यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मेसर्स प्रगति ईट भट्ठा (पूर्वनाम अशोक कुमार सिंह ईट भट्ठा), आराजी नं0 1717, ग्राम–फुलपुरा कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया एवं मेसर्स आकांक्षा ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स खान एण्ड अंसारी ब्रिक वर्क्स), आराजी नं0 165, 173 ग्राम–सरनी कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया के विरूद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 174/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह v/s यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 12.07.2022 को कतिपय आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है–

"......... 10. In the meanwhile , both the brick kilns shall not be allowed to operate and District Magistrate and Superintendent of Police , Balia shall take all requisite steps to ensure that both the brick kilns do not illegally operate in any manner ...."
List the matter for further consideration on 21.10.2022

अग्रेतर अवगत कराना है कि ईंट भट्ठे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक 156254/ UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 Date: 19/05/2022 द्वारा निर्गत सहमति वायु आदेश के विशिष्ट शर्त संख्या (3) एवं सामान्य शर्त संख्या (11) का संदर्भ लेना चाहें, जो निम्नवत् हैं–

Specific Conditions

3. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.

General Conditions:-

11. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में एवं सहमति वायु आदेश के विशिष्ट शर्त संख्या (3) एवं सामान्य शर्त संख्या (11) के दृष्टिगत प्रश्नगत् ईट भट्ठा मेसर्स प्रगति ईट भट्ठा (पूर्वनाम अशोक कुमार सिंह ईट भट्ठा), आराजी 1712, ग्राम–फुलपुरा कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक पत्रांक 156254/ UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/ both/BALLIA/2022 Date: 19/05/2022 द्वारा निर्गत सहमति वायु आदेश को वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक तत्काल रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सहमति आदेश को यू0पी0ओ0सी0एम0एम0एस0 की वेबसाइट पर रिवोक कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर, मऊ रोड, आजमगढ़ – 276001, www.uppcb.com, E-mail- roazamgarh@uppcb.in
मुख्यालय : टी.सी. 12वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 # दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831
फैक्स : 0522–2720764 # ई–मेल : info@uppcb.com # वेबसाइट : www.uppcb.com

सं.सं./Ref. 2011\क्षे०का०\2022-23

दिनांक / Date. 13-07-202

सेवा में,

मेसर्स प्रगति ईट भट्ठा (पूर्वनाम अशोक कुमार सिंह ईट भट्ठा),
द्वारा श्री व्यास सिंह,
ग्राम–फुलपुरा कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर,
जनपद–बलिया।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 174/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह v/s यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मेसर्स प्रगति ईट भट्ठा (पूर्वनाम अशोक कुमार सिंह ईट भट्ठा), आराजी नं0 1717, ग्राम–फुलपुरा कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया एवं मेसर्स आकांक्षा ईट भट्ठा (पूर्वनाम मेसर्स खान एण्ड अंसारी ब्रिक वर्क्स), आराजी नं0 165, 173 ग्राम–सरनी कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया के विरूद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 174/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह v/s यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 12.07.2022 को कतिपय आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है–

"........ 10. In the meanwhile , both the brick kilns shall not be allowed to operate and District Magistrate and Superintendent of Police , Balia shall take all requisite steps to ensure that both the brick kilns do not illegally operate in any manner ...."
List the matter for further consideration on 21.10.2022

अग्रेतर अवगत कराना है कि ईंट भट्ठे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक 156254/ UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 Date: 19/05/2022 द्वारा निर्गत सहमति जल आदेश के विशिष्ट शर्त संख्या (3) एवं सामान्य शर्त संख्या (11) का संदर्भ लेना चाहें, जो निम्नवत् हैं–

Specific Conditions

3. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.

General Conditions:-

11. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में एवं सहमति जल आदेश के विशिष्ट शर्त संख्या (3) एवं सामान्य शर्त संख्या (11) के दृष्टिगत प्रश्नगत् ईट भट्ठा मेसर्स प्रगति ईट भट्ठा (पूर्वनाम अशोक कुमार सिंह ईट भट्ठा), आराजी 1712, ग्राम–फुलपुरा कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक पत्रांक 156254/ UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/ both/BALLIA/2022 Date: 19/05/2022 द्वारा निर्गत सहमति जल आदेश को जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 27 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक तत्काल रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सहमति आदेश को यू0पी0ओ0सी0एम0एम0एस0 की वेबसाइट पर रिवोक कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर, मऊ रोड, आजमगढ़ – 276001, www.uppcb.com, E-mail- roazamgarh@uppcb.in
मुख्यालय : टी.सी. 12वी,, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 # दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831
फैक्स : 0522–2720764 # ई–मेल : info@uppcb.com # वेबसाइट : www.uppcb.com

Annexure - 3

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी बलिया पत्रांक संख्या 476/आ० लो०- अ0 जि० ईट भट्ठा जांच दिनांक 11/08/2022 के क्रम मे सदस्य सचिव उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय के क्रम मे मेसर्स अशोक कुमार शर्मा ईट भट्ठा फलपुरा कोथ सिकन्दरपुर जनपद - बलिया का स्थलीय निरीक्षण जांच आख्या निम्न है।

(i) उक्त ईट भट्ठे की चिमनी से पूर्व दिशा में पी० डब्लु० डी० मार्ग लगभग 51 मीटर की दुरी पर स्थित है। पूर्व दिशा मे ही लगभग 1 KM की दुरी पर ग्राम उचवार की आबादी स्थित है।

(ii) उक्त भट्ठे की चिमनी से उत्तर दिशा मे लगभग 740 मी० पर ग्राम कल्यानी (कोथ) की आबादी स्थित है।

(iii) उक्त भट्ठे की चिमनी से दक्षिण दिशा मे लगभग 1100 मीटर पर ग्राम सरनी की आबादी स्थित है।

(iv) उक्त भट्ठे की चिमनी से पश्चिम दिशा मे ग्राम फलपुरा (कोथ) की आबादी लगभग 730 मीटर की दुरी पर है तथा लगभग 560 मी० की दुरी पर पश्चिम दिशा मे ही तीन मकान तथा 640 मीटर पर एक मकान बना हुआ है

(v) उक्त भट्ठे की चिमनी से ग्राम कोथ मे स्थित अस्पताल (उत्तर-पश्चिम) की दुरी लगभग 1160 मी० है।

(vi) उक्त भट्ठे की चिमनी से ग्राम कोथ मे स्थित विद्यालय (उत्तर-पश्चिम) की दुरी लगभग 810 मी० है।

(vii) उक्त भट्ठे की चिमनी से ग्राम कोथ मे संचालित भट्ठे के चिमनी से दुरी लगभग 870 मी० उत्तर पश्चिम दिशा मे स्थित है व दक्षिण-पूर्व (सरनी) भट्ठे की चिमनी की दुरी लगभग 1110 मी० पर स्थित है।

रिपोर्ट सेवा में अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Mani Kumar yadav
लेखपाल नवानगर
08/09/22

महोदय, लेखपाल आख्या सादर प्रेषित
08/9/2022

Seen

उपजिलाधिकारी
सिकन्दरपुर, बलिया
08/9/22

Annexure-4

फोन : (0542) 315143
फैक्स : (0542) 315143

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्पलेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी

संदर्भ 889 /एनओसी/ग्राम एण्ड अन्सारी ब्रिक फर्म/2006 दिनांक 10-10-2006
13,

सेवा में,

मेसर्स ग्राम एण्ड अन्सारी ब्रिक फर्म
तरनी, रोध, सिकन्दरपुर
बलिया

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नयी इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक [illegible]-10-2006 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :—

(क) स्थल अराजी नं. 165, 173 तरनी, रोध, सिकन्दरपुर, बलिया

(ख) उत्पादन ईंट- 15,000 प्रतिदिन

(ग) मुख्य कच्चे माल ....

मिट्टी

....

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा ....

शून्य

....

....

(ङ) प्रयुक्त ईंधन ....

कोयला- 02 टन प्रतिदिन

....

....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र-संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह, शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम दो माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5 घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 2500 लीटर/दिन... से अधिक नहीं होगी। सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

6 प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक........ दिसम्बर-2000 ....तक अवश्य प्रस्तुत की जाय।

7. प्रस्तावित उद्योग स्थल के चारों ओर 10 मीटर······ मीटर चौड़ी हरित पट्टीका का विकास किया जाय।

8. परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण भन्डारों तथा आयात नियम 1969 के अन्तर्गत आंकड़े शीट, दुर्घटना की सूचना आदि सूचनाएं विभिन्न प्रारूपों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9 पर्यावरण स्टेटमेन्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विलम्बतम 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. उद्योग द्वारा एक्सप्लोसिव विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाय।

11. लोकदायित्व बीमा अधिनियम 1991 की अनुपालन सुनिश्चित करें।

12. उद्योग द्वारा अग्नि शमन हेतु उचित व्यवस्था की जाय।

13- उद्योग द्वारा यदि किसी प्रकार का सालिड वेस्ट निकलता है तो इसके निस्तारण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जायेंगे, ताकि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो।

14- उद्योग में 10 हार्सपावर के डीजल इंजन की स्थापना की जायेगी। इंजन से संलग्न एग्जास्ट की ऊंचाई आस-पास के भवन छत से 1.5 मीटर रखी जायेगी।

15- उद्योग में भट्ठे संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल से 30 मीटर रखी जायेगी।

16- चिमनी के साथ ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जायेगी। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

17- उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 29-9-2000 एवं 9-10-2000 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

18- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

19- जिला परिषद की गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

20- आपके भट्ठे से अन्य भट्ठे की दूरी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के सुझावों के अनुसार होनी चाहिये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक..............................तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता-वृत्त 6 उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तृतीय तल, बी-ब्लाक, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ-226010..

2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,..........बलिया।..

3. ....

O/C

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-5

महोदय

कार्यालय जिलाधिकारी बलिया पत्रांक सं० 476/आ० के
अ० जि० ईट भट्ठा की जाँच दिनांक 11/08/2022 के क्रम में
सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय के क्रम
में आकांक्षा ईट भट्ठा सरनी खिजरपुर जनपद बलिया का
स्थलिय निरीक्षण जाँच आख्या निम्न है।

(1) उक्त ईट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण दिशा में बा० डब्लु०एच०
मार्ग लगभग 1010 मी० की दुरी पर स्थित है।

(2) उक्त ईट भट्ठे की चिमनी से ग्राम सरनी में ही दक्षिण
दिशा में स्थित ईट भट्ठे की दुरी लगभग 650 मी० है। एवं
उत्तर पश्चिम दिशा में (फल पुरा कोप) भट्ठे की चिमनी
की दुरी लगभग 1110 मी० है।

(3) उक्त ईट भट्ठे से पश्चिम दिशा मे स्थित प्रा० विद्याल
भवन की दुरी लगभग 220 मी० है।

(4) उक्त ईट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण पश्चिम दिशा में
ग्राम सरनी की मुख्य आबादी की दुरी लगभग 200 मी० है
एवं लगभग 90 मी० की दुरी पर कुछ नये मकान बने
हुए है।

(5) उक्त ईट भट्ठे से पूरब दिशा में ग्राम रामपुर कटराई की
आबादी लगभग 1020 मी० दूरी पर स्थित है।

(6) उक्त ईट भट्ठे से उत्तर दिशा में ग्राम उचवार की आबाद
की दूरी लगभग 1500 मी० है।

(7) उक्त ईट भट्ठे से पश्चिम दिशा मे स्थित ग्राम
दुबेरा की आबादी लगभग 700 मी० है

रिपोर्ट सेवा में अवलोकनार्थ एवं
अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित

महोदय,
लेखपाल आख्या
अवलोकित
08/9/22
ना०त०

SDM
उपजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी
08/9/22

[signature]
लेखपाल
08/09/2022